हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना

दिनांकः 22 जून, 2017

संख्या 24 / एस.टी.—2 — हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 19), की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, कराधान निरीक्षकों को, उक्त उप—धारा के प्रयोजनों के लिये नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को लागू होगी ।

संजीव कौशल अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT NOTIFICATION

The 22nd June, 2017

No: 24/ST-2 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana hereby appoints the Taxation Inspectors for the purposes of the said subsection.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

SANJEEV KAUSHAL Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department